

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 313 / एफ 2025-22-00738 / वि / नि / चार / 2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 / 05 / 2025  
प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर अटल नगर

विषय:-वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत  
"ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान" को वित्तीय अधिकार का  
प्रत्यायोजन।

—0—


वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत  
ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान से संबंधित वित्तीय अधिकार  
संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रत्यायोजित किया जाता है।

2/ यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

 14/5/2025  
(डॉ. ए.के.सिंह)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. 314 / एफ 2025-22-00738 / वि / नि / चार / 2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/05/2025  
प्रति,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
  3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
  4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
  5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर / नवा रायपुर अटल नगर
  6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
  7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
  8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
  9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
  10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
  11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
  12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर
  13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
  14. समस्त विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
  15. संचालक, कोष एवं लेखा / पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
  16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
  17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
  18. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर
  19. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
  20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
  21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
  22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
  23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट [finance.cg.gov.in](http://finance.cg.gov.in) में अपलोड करने हेतु

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में वित्तीय शक्तियां

### **Panchayat and Rural Development Department**

**Financial powers in respect of Thakur Pyarelal State Institute of Panchayat and Rural Development**

# पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में वित्तीय शक्तियां

स.क्र.	विवरण	शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उपकरण, लघु उपकरण एवं औजार क्रय की स्वीकृति	1. विकास आयुक्त	पूर्ण शक्तियां	बशर्त कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे।
		2. संचालक / संयुक्त संचालक	रु. 1 लाख	
2	कार्यालय फर्नीचर, उपकरणों एवं यंत्रों के क्रय की स्वीकृति	1. विकास आयुक्त	पूर्ण शक्तियां	बशर्त कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे।
		2. संचालक	रु. 2 लाख	
3	कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय, जिसमें सर्वर, सी.पी.यू. मानीटर, की बोर्ड तथा माऊस शामिल है।	1. विकास आयुक्त	पूर्ण शक्तियां	बशर्त कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे।
		2. संचालक	रु. 1 लाख	
4	कम्प्यूटर हार्डवेयर के सहायक उपकरणों का क्रय	1. विकास आयुक्त	पूर्ण शक्तियां	बशर्त कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे। इसमें प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर वेब कैमरा, स्पीकर, कम्बो ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, यू.पी.एस. इनवर्टर, रैम हार्ड डिस्क स्मार्ट कार्ड, रेडी प्लेश ड्राइव, बायोमेट्रिक डिवाइसेस शामिल है।
		2. संचालक	रु. 1 लाख	
5	शिक्षण सामग्री (Teaching aids) क्रय की स्वीकृति	संचालक	पूर्ण शक्तियां	बशर्त कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे। इसमें लेपटाप एवं एल.सी.डी. प्रोजेक्टर शामिल है।
6	प्रशिक्षण कक्षों/छात्रावास/अतिथि गृह/सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के लिए फर्नीचर क्रय की स्वीकृति	1. विकास आयुक्त	पूर्ण शक्तियां	बशर्त कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे। कार्यालयीन व्यय की श्रेणी में शामिल सामग्रियों सम्मिलित नहीं है।
		2. संचालक	रु. 4 लाख	कार्यालयीन व्यय की श्रेणी में शामिल सामग्रियों सम्मिलित नहीं है।
		3. संयुक्त संचालक	रु. 1 लाख	


## Panchayat and Rural Development Department

Financial powers in respect of Thakur Pyarelal State Institute of Panchayat and Rural Development				
Sl. No	Description	Authority competent to exercise powers	Extent of delegation	conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sanction purchase of instruments, minor equipments and apparatus	1. Development Commissioner 2. Director/Joint Director	Full powers Rs. 1 lakh	Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item.
2	Sanction purchase of office furniture, equipments and apparatus	1. Development Commissioner 2. Director	Full powers Rs. 2 lakhs	Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item.
3	To sanction purchase of computer hardware, including server, CPU, monitor, keyboard and mouse.	1. Development Commissioner 2. Director	Full powers Rs. 1 lakh	Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item.
4	To sanction purchase of computer hardware accessories	1. Development Commissioner 2. Director	Full powers Rs. 1 lakh	Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item. It includes printer, scanner, plotter, webcam, speaker, combo drive, floppy drive, U.P.S., Inverter RAM, High Disk Smart Card, Ready Flash Drive, Biometric Devices.
5	To sanction purchase of teaching aids	Director	Full powers	Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item. This includes a laptop and LCD projector.
6	To sanction purchase of furniture for training rooms/hostels/guest houses/ Auditorium etc.	1. Development Commissioner 2. Director 3. Joint Director	Full powers Rs. 4 lakhs Rs. 1 lakh	Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item. Items included in the category of office expenses are not included. Items included in the category of office expenses are not included.

*(Signature)*

स.क्र.	विवरण	शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	मृत स्कंध भण्डार के अनुपयोगी अप्रचलित अथवा अतिशेष सामग्रियों का आम नीलामी द्वारा निराकरण की शक्ति	1. संचालक 2. संयुक्त संचालक	पूर्ण शक्तियाँ रु. 1 लाख	
8	देश के प्रशिक्षण संस्थाओं की सहायता से या सहायता के बिना, संस्थान में पाठ्यक्रम संचालन करने की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति	1. विकास आयुक्त 2. संचालक	पूर्ण शक्तियाँ रु. 5 लाख तक	
9	संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम हेतु आने वाले संकाय सदस्यों/विशेषज्ञों का टी.ए. तथा डी.ए. की स्वीकृति	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	टी.ए./डी.ए. का संदाय शासकीय सेवकों को लागू श्रेणी के अनुसार किया जावेगा।
10	पाठ्यक्रम परिकल्पित करने वाले सलाहकारों की फीस भुगतान की स्वीकृति	संचालक	प्रत्येक प्रकरण में रु. 5,000 तक	
11	अतिथि संकाय सदस्यों को निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	
12	पाठ्यक्रम, सेमिनारों तथा कार्य शालाओं में भाग लेने वालों तथा संकाय सदस्यों को चाय, कॉफी, स्वल्पाहार, दोपहर का भोजन (जिसमें बर्किंग लंच तथा पैकड लंच शामिल हैं), रात का भोजन उपलब्ध कराने के व्यय स्वीकृति की शक्तियाँ, जहाँ निबंधनों में ऐसा अपेक्षित हो।	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार

Sl. No.	Description	Authority competent to exercise powers	Extent of delegation	conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Power to dispose of unserviceable, obsolete or surplus items of dead stock by general auction	1. Director 2. Joint Director	Full powers Rs. 1 lakh	
8	Power to accord administrative and financial approval to conduct courses in the Institute with or without the aid of training institutions in the country	1. Development Commissioner 2. Director	Full powers Up to Rs. 5 lakhs	
9	Sanction of TA and DA for visiting faculty members/experts for courses conducted in the institute	Director	Full powers	TA/DA will be paid as per the category applicable to Government servants.
10	Sanction for payment of fees of consultants designing the courses	Director	Up to Rs. 5000 in each case	
11	Sanction for providing free transportation to guest faculty members	Director	Full powers	
12	Powers to sanction expenditure for providing tea, coffee, snacks, lunch (including working lunch and packed lunch), dinner to participants of courses, seminars and workshops and faculty members, where the terms so require.	Director	Full powers	As per the rates approved by the BOG



स.क्र.	विवरण	शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	संकाय सदस्यों जिन्हें संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करने हेतु आमंत्रित किया गया है, के आवास व्यवस्था का व्यय स्वीकृत करने का अधिकार	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार
14	प्रशिक्षणार्थियों तथा उनके साथ आने वाले व्यक्तियों के मनोरंजन पर हुए व्यय की स्वीकृति के अधिकार	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	
15	प्रशिक्षणार्थियों तथा उनके साथ आने वाले व्यक्तियों की अध्ययन यात्रा के संबंध में व्यय की स्वीकृति के अधिकार	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	
16	राज्य में कहीं भी संस्थान द्वारा संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम के संबंध में अतिथि व्याख्याता/ प्रशिक्षण संचालक/ सहभागियों को मानदेय/ भत्ते तथा अन्य आकस्मिक व्यय पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के अधिकार	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार
17	संस्थान के छात्रावास/ अतिथि गृह में प्रशिक्षणार्थियों को आबंटित कमरों के प्रभार निर्धारण की शक्ति	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार
18	शासन द्वारा निर्धारित दरों पर कार्यों हेतु निजी मोटर वाहन के उपयोग की स्वीकृति	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	



Sl. No	Description	Authority competent to exercise powers	Extent of delegation	conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Powers to sanction expenditure on boarding arrangements for visiting faculty members who have been invited to conduct various courses at the Institute	Director	Full powers	As per the rates approved by the BOG
14	Authority to sanction expenditure on entertainment of trainees and persons accompanying them	Director	Full powers	
15	Authority to sanction expenditure in connection with study tour of trainees and persons accompanying them	Director	Full powers	
16	Authority to approve expenditure on honorarium/allowances and other incidental expenses to guest lecturers/training directors/ participants in respect of courses conducted by the institute anywhere in the State	Director	Full powers	As per the rates approved by the BOG
17	Power to fix charges for rooms allotted to trainees in the Institute's hostel/guest house	Director	Full powers	As per the rates approved by the BOG
18	Allowance for use of private motor vehicle for works at rates fixed by Government	Director	Full powers	

*gln*

स.क्र.	विवरण	शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	सेमीनार, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि से संबंधित कार्य हेतु अवकाश अवधि में अथवा सामान्य कार्यवधि के बाहर अतिरिक्त कार्य करने के लिए संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृत करने की शक्ति	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार
20	छात्रावास तथा कार्यालय फर्नीचर एवं सभी उपकरणों की मरम्मत	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	
21	ए.सी. प्लांट, संचार सामग्री (EPABX), कम्प्यूटर, वाटर कूलर के वार्षिक संधारण की स्वीकृति	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	
22	भारत के अंदर प्रशिक्षण, सेमीनार, या रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए शासकीय कर्मचारियों को भेजने की शक्तियाँ	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	<p>(क) मूल नियम 9 (6) (डी) के अन्तर्गत प्रशिक्षणकाल में प्रशिक्षुओं को कर्तव्य पर समझा जायेगा तथा उसे समय-समय पर देय वेतन-भत्ते की पात्रता होगी।</p> <p>(ख) प्रशिक्षण केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिये वह दौरे पर समझा जायेगा तथा नियमानुसार TA &amp; DA का हकदार होगा।</p> <p>(ग) प्रशिक्षण स्थल पर विराम की अवधि तथा प्रशिक्षण के दौरान अध्ययन भ्रमण दौरा के समान अवधि मानी जायेगी।</p> <p>(घ) राज्य सरकार तथा भारत सरकार तथा उनके द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रम तथा ऐसे पाठ्यक्रम जिसके लिये शासकीय सेवकों को नियमित रूप से प्रायोजित किया जाना हो तथा शुल्क को भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग के द्वारा पूर्व उदाहरणों में प्रदान की गई हो।</p> <p>टिप्पणी- जहाँ किसी संस्था अथवा एजेंसी या भारत सरकार के द्वारा प्रशिक्षण के लिये TA/DA/CA/ stipend देय है, वहाँ वह राज्य सरकार की ओर से पृथक् रूप से देय नहीं होगा।</p>

Sl. No	Description	Authority competent to exercise powers	Extent of delegation	conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Power to sanction honorarium to officers/employees of the Institute for performing extra work during vacation period or outside normal working hours in connection with seminars, workshops, training programmes, cultural programmes etc.	Director	Full powers	As per the rates approved by the BOG
20	Repair of hostel and office furniture and all equipments	Director	Full powers	
21	To sanction annual maintenance of A.C. Plant, Communication Materials (EPABX), Computer, Water Cooler	Director	Full powers	
22	Powers to send Government servants for training, seminars or refresher courses within India	Administrative Department	Full powers	<p>(a) The trainees would be treated as on duty during training period under F.R. 9 (6) (d) and would be entitled to pay and allowances as admissible to them from time to time.</p> <p>(b) Journeys up to the training centre and back would be treated as on tour and T.A. &amp; D.A. therefore admissible as per rules.</p> <p>(c) The period of stay at the training centre and study tour during training will be treated as period on tour.</p> <p>(d) These powers relate to the courses organised by the State Govt. and the Govt. of India and the institution run by them and /or the courses to which the government servants are sponsored regularly and the payment of fee was approved by FD in an earlier instance.</p> <p>Note :- Where T.A./ D.A. / C.A. / Stipend is payable by any institution or Agency or Government of India for training the same would not be separately admissible from the State Govt</p>



स.क्र.	विवरण	शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	प्रशिक्षण हेतु वाहन किराये के भुगतान की स्वीकृति (क) जब वाहन किराये से लेने की आवश्यकता शासकीय उपयोग के लिए उद्भूत हुई हो (ख) स्टाफ वाहनों की कमी के कारण विशिष्ट अतिथियों के उपयोग के लिए	संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	(1) जब एक अराजपत्रित कर्मचारी अपने कार्यालय से कुछ दूरी पर कर्तव्य हेतु भेजा जाता है या राजपत्रित अधिकारी के विशेष आदेश से सामान्य कार्य घंटों से बाहर, अपने कार्यालय में आहूत किया जाता है। (2) कार्यालय प्रमुख यह अभिप्रमाणित करते हैं कि किया गया वास्तविक व्यय अपरिहार्य या और उपयोग किए गए वाहन के लिए भुगतान किया गया किराया निर्धारित मानदंड के अंतर्गत है। (3) ऐसा प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाना चाहिए कि स्टाफ वाहन उक्त कार्य में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। (4) यदि एक ही स्थान पर जाने के लिए उसी समय एक से अधिक अधिकारी का जाना अपेक्षित हो, तो वाहन साझा किया जायेगा। (5) शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों में विहित दरों के अनुसार
24	प्रशिक्षण छात्रावास के लिए कपड़ा, बिस्तर कय करने की शक्ति	1. विकास आयुक्त 2. संचालक	रु. 10 लाख रु. 1 लाख	
25	उद्यान के अनुरक्षण के लिए सामग्री का कय	संचालक	रु. 2 लाख	बजट प्रावधान की सीमा तक

Sl. No	Description	Authority competent to exercise powers	Extent of delegation	conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Sanction for payment of vehicle hired for training (a) For official use when the need for hiring of taxi arises. (b) For the use of distinguished visitors for want of a staff car.	Director	Full powers	(1) When a non-gazetted employee is sent on duty at a distance from his office or is called to his office outside normal working hours by a special order of a Gazetted Officer. (2) The Head of the Office certifies that the actual expenditure incurred is unavoidable and the fare paid for the vehicle used is within the prescribed norms. (3) A certificate should be recorded stating that the staff vehicle could not be made available for the said work. (4) If more than one officer is required to attend the same place at the same time, the vehicle shall be shared. (5) As per the rates prescribed in orders/circular issued by Govt.
24	Power to sanction purchase of Cloth, bed for training hostel.	1. Development Commissioner 2. Director	Rs. 10 lakh Rs. 1 lakh	
25	Power to purchase materials for garden maintenance	Director	Rs. 2 lakh	Within the limit of budget Provisions.